श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
बी-४, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली - ११००१६

विषय : दिनांक २२.१२.२०१२ को आयोजित विद्वत् परिषद् की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली की विद्वत्परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 22.12.2012 को पूर्वाह्ण 11:00 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विद्यापीठ के वाचस्पति सभागार में सम्पन्न हुई । इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी	अध्यक्ष
2.	डॉ. दीप्ति एस. त्रिपाठी	सदस्या
3.	प्रो. लक्ष्मीश्वर झा	सदस्य
4.	प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय	सदस्य
5.	प्रो. नीना डोगरा	सदस्या
6.	प्रो. भास्कर मिश्र	सदस्य
7.	प्रो. नागेन्द्र झा	सदस्य
8.	प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित	सदस्य
9.	डॉ. भवेन्द्र झा	सदस्य
10.	प्रो. अमिता शर्मा	सदस्या
11.	प्रो. रमेश चन्द्र दाश शर्मा	सदस्य
12.	प्रो. प्रेम कुमार शर्मा	सदस्य
13.	प्रो. हरिहर त्रिवेदी	सदस्य
14.	प्रो. देवीप्रसाद त्रिपाठी	सदस्य
15.	प्रो. कमला भारद्वाज	सदस्या
16.	प्रो. एस.एन.रमामणि	सदस्या
17.	प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा	सदस्य
18.	सुदीप कुमार जैन	सदस्य
19.	प्रो. शुद्धानन्द पाठक	सदस्य
20.	प्रो. शुकदेव भोई	सदस्य

21.	प्रो. इच्छाराम द्विवेदी	सदस्य
22.	प्रो. वीरसागर जैन	सदस्य
23.	प्रो. महेश प्रसाद सिलौड़ी	सदस्य
24.	प्रो. हरेराम त्रिपाठी	सदस्य
25.	डॉ. देवदत्त चतुर्वेदी	सदस्य
26.	डॉ. रमेश प्रसाद पाठक	सदस्य
27.	डॉ. संगीता खन्ना	सदस्या
28.	डॉ. यशवीर	सदस्य
29.	डॉ. बिहारी लाल शर्मा	सदस्य
30.	डॉ. दिवाकर दत्त शर्मा	सदस्य
31.	डॉ. अनेकान्त कुमार जैन	सदस्य
32.	डॉ. बीके. महापात्र	सचिव

प्रो. हरिहर त्रिवेदी के मंगलाचरण के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । गहन विचार-विमर्श के अनन्तर सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

कार्यक्रम सं. 2.1 **विद्वत्परिषद् की दिनांक 14-5-2012 को संपन्न हुई प्रथम बैठक के मद सं 1, 2, 3 एवं 8 पर मात्र चर्चा की गई, जिसमें मद सं. 8 को छोड़कर अन्य मदों पर लिए गए निर्णयों की पुष्टि।**

दिनांक 14.5.2012 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

प्रो. कमला भारद्वाज ने प्रश्न उठाया कि उक्त मण्डल के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सेमीनार में भाग लेने वाले विद्वान को अपना निबन्ध, विद्यापीठ में पहले परीक्षणार्थ जमा करना होगा, यह उचित नहीं है । इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस इस विषय पर पुनः चर्चा की अपेक्षा है तो उसे आगामी योजना एवं अनुवीक्षण मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मद सं. 8 पर चर्चा करते हुए कुलपति महोदय द्वारा कहा गया कि "वास्तुशास्त्र, को विभाग के रूप में कार्य परिषद् की 68वीं बैठक (दिनांक 22.4.2009 के मद सं. 68.3) एवं विद्वत् परिषद् की

उन्नीसवीं बैठक (24.11.2010 के मद सं. 19.8) में पारित किया जा चुका है । वास्तुशास्त्र का अध्यापन ज्योतिष विभाग में चल रहा है तथा इसे ज्योतिष के अंत:विषयक (इण्टरडिसीप्लीनरी) के रूप में रखने हेतु विद्वत्परिषद् की उन्नीसवीं बैठक के मद सं. 19.8 में स्वीकृति प्रदान की गई है । इसका पी.जी. डिप्लोमा भी सुचारू एवं स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है । शास्त्री, आचार्य का पाठ्यक्रम भी तैयार है, जो विद्वत्परिषद् से अनुमोदित है तथा वास्तुशास्त्र विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा ।''

इस संबंध में कुछ सदस्यों द्वारा अपने विचार प्रकट किए गए तथा समस्त तथ्यों को सुनने के उपरान्त माननीय कुलपति महोदय ने कहा कि वास्तुशास्त्र को विद्यापीठ के नए विभाग के रूप में नैक आदि संस्थाओं को सूचना भेजी जा चुकी है। इसी आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नए पदों की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। अत: इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है ।

कार्यक्रम सं. 2.2 **विद्वत्परिषद् की दिनांक 14.5.2012 को संपन्न हुई प्रथम बैठक में लिए गए निर्णयों पर प्रतिवेदन।**

विद्वत्परिषद् की दिनांक 14.5.2012 को संपन्न हुई द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों के प्रतिवदेन की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं. 2.3 **विद्यापीठ के चौदहवें दीक्षान्त समारोह में विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियां देने का प्रस्ताव तथा स्वीकृति ।**

कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 10.11.2012 में लिए गए निर्णय एवं कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन के अनुसार विद्यापीठ में दिनांक 7 जनवरी 2013 को संपन्न होने वाले चौदहवें दीक्षान्त समारोह के अवसर पर निम्नलिखित विशिष्ट विद्वानों को मानद उपाधियाँ दी जानी हैं।

महामहोपाध्याय

1. प्रो. पियैर् सिल्वैं फिलियोज़ा (फ्रांस)
2. प्रो. वासुदेव श्रीवत्साङ्काचार्य (तमिलनाडु)
3. प्रो. के.वी रामकृष्णमाचार्यलु (आन्ध्रप्रदेश)

वाचस्पति

1. प्रो. अभिराज राजेन्द्र मिश्र (हिमाचल प्रदेश)
2. प्रो. गयाचरण त्रिपाठी (दिल्ली)
3. प्रो. प्रेम सुमन जैन (राजस्थान)

सर्वसम्मति से उपर्युक्त विशिष्ट विद्वानो को मानद उपाधि दी जानी की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं. 2.4 **शैक्षणिक वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उत्तीर्ण छात्रों को शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि, विशिष्टाचार्य, पी.जी.डिप्लोमा वास्तुशास्त्र, पी.जी.डिप्लोमा योग एवं ज्योतिष भूषण, ज्योतिष प्राज्ञ, ज्योतिष भैषज्य, पौरोहित्य प्रशिक्षण, पौरोहित्य प्रमाण-पत्रीय, पौरोहित्य व्रतोद्यापन पाठ्यक्रम में प्रदानार्थ उपाधियों व प्रमाण-पत्रों की स्वीकृति ।**

शैक्षणिक वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उत्तीर्ण छात्रों को शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्यावारिधि, विशिष्टाचार्य, पी.जी. डिप्लोमा वास्तुशास्त्र, पी.जी.डिप्लोमा योग एवं ज्योतिष भूषण, ज्योतिष प्राज्ञ, ज्योतिष भैषज्य, पौरोहित्य प्रशिक्षण, पौरोहित्य प्रमाण-पत्रीय, पौरोहित्य व्रतोद्यापन पाठ्यक्रम में प्रदानार्थ उपाधियों व प्रमाण-पत्रों की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गयी तथा विशिष्टाचार्य एवं योग के प्रमाण-पत्रों के प्रारूप पर चर्चा एवं संशोधन के उपरान्त स्वीकृति दी गई ।

विद्यापीठीय परीक्षा संबंधी नियम-उपनियमों के निर्माण हेतु सदस्यों की माँग पर सर्वसम्मति से निम्नलिखित सदस्यों की समिति का गठन किया गया :-

1. प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित (अध्यक्ष)
2. प्रो. कमला भारद्वाज
3. प्रो. महेश प्रसाद सिलौड़ी
4. डॉ. गोपी रमण मिश्र (राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से आमंत्रित सदस्य)
5. श्री विनोद कुमार मिश्र, सहायक कुलसचिव (परीक्षा) (संयोजक)

उपर्युक्त समिति में आवश्यकतानुसार डॉ. ज्योत्स्ना मोहन, पूर्व सहायक परीक्षा नियंत्रक को भी सम्मिलित किया जा सकता है । इससे संबंधी कार्यालय आदेश प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जाए तथा प्रतिवेदन के हिन्दी-संस्कृत तथा अंग्रेजी के टंकण की व्यवस्था परीक्षा विभाग द्वारा की जाए । यह समिति अपना प्रतिवेदन आदेश निर्गत होने के तीन माह के भीतर कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी, जिसे विद्वत्परिषद् की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यक्रम सं. 2.5 **सत्र 2012-13 के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्मित परिचय नियमावली की स्वीकृति ।**

सर्वसम्मति से सत्र 2012-13 की परिचय नियमावली की पुष्टि की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2013-14 की परिचय नियमावली का कार्य, कार्यक्रम सं. 2.4 में गठित उपसमिति द्वारा संपन्न किया जाएगा, जिसे विद्वत्परिषद की मार्च में होने वाली बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ।

सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया गया कि समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ शैक्षणिक कलैण्डर के अनुसार ही संचालित की जाएं तथा

विद्वत् परिषद् की आगामी बैठक मार्च-अप्रैल 2013 में आयोजित की जाए ।

कार्यक्रम सं. 2.6 **न्याय वैशेषिक विभागाध्यक्ष के प्रस्ताव दिनांक 18.9.2012 के अनुसार 'भारतीय तर्कशास्त्र एवं दर्शन' विषय को प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम के रूप में संचालित करने पर विचार ।**

न्याय वैशेषिक विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया गया तथा माननीय कुलपति महोदय द्वारा इसका शीर्षक **'भारतीय तर्कशास्त्र एवं दर्शन'** के स्थान पर **'संस्कृत वाङ्मय में प्रमाण-पत्र'** रखे जाने का सुझाव दिया गया जिसे कि सर्वसम्मति से समस्त सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया गया ।

सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिये गये कि : इस प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम में अन्य विषय के विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जाए, आयु सीमा का बंधन न रखा जाए तथा इस पाठ्यक्रम के शुल्क इत्यादि पर पुनर्विचार किया जाए । प्रो. पीयूषकान्त दीक्षित इससे संबंधित प्रतिवेदन को संकाय प्रमुखों की बैठक में विचार-विमर्श कर कुलपति महोदय के समक्ष पुनः प्रस्तुत करेंगे ।

प्रो. दीप्ति त्रिपाठी द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यह प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम, मूल ग्रन्थों पर आधारित है, जिस कारण संस्कृत का ज्ञान न रखने वाले छात्रों को इसके अध्ययन-अध्यापन में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस पाठ्यक्रम में कई ऐसे छात्रों को प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है, जो संस्कृत का ज्ञान नहीं रखते ।

अतः सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रो. अमिता शर्मा द्वारा पूर्व में संचालित संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ किया जाए तथा संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ऐसे प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाए ।

सिद्धान्ततः इस प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया तथा संकाय प्रमुखों द्वारा विचार-विमर्श कर, जो प्रतिवेदन कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उसे आगामी विद्वत् परिषद् की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए जिससे इस प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम को विद्यापीठ में आरंभ किए जाने की प्रक्रिया आरंभ की जा सके ।

कार्यक्रम सं. 2.7 **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र सं. एफ.1-1/2012 (एस.ए.-III) दिनांक 1 अक्टूबर 2012 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर से आए हुए छात्रों को विद्यापीठ में प्रवेश हेतु दो अधिसंख्य (supernumerary) सीट देने पर विचार।**

सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र सं. एफ. 1-1/2012 (एस.ए.-III दिनांक 1 अक्टूबर 2012 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर से आए हुए छात्रों को विद्यापीठ में प्रवेश हेतु दो अधिसंख्य (supernumerary) सीट देने की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं. 2.8 **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत (स्वशासी) द्वारा जारी पत्र सं. एनबीएसई/12/07/1125 दिनांक 10 अगस्त 2012 के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मध्यवर्ती परीक्षा को राज्य बोर्ड के उच्च माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य स्वीकार करने पर विचार।**

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत (स्वशासी) द्वारा जारी पत्र सं. एनबीएसई/12/07/1125 दिनांक 10 अगस्त 2012 के अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित मध्यवर्ती परीक्षा को राज्य बोर्ड के उच्च माध्यमिक परीक्षा के समतुल्य स्वीकार करने पर कुछ सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इसकी मान्यता प्रथमतः राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा होनी चाहिए तत्पश्चात् ही विद्यापीठ इस प्रस्ताव पर विचार करेगा । इस विषय पर प्रशासन विभाग द्वारा सूचनाएँ एकत्रित की जाएँ।

कार्यक्रम सं. 2.9 **महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद-विद्या प्रतिष्ठान से मान्यता के संबंध में प्राप्त पत्र सं. ५-१/२०११(एकेड.)/एमएसआरवीवीपी /3231 दिनांक 24.07.2012 पर विचार ।**

सर्वसम्मति से महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद-विद्या प्रतिष्ठान से मान्यता के संबंध में प्राप्त पत्र सं. 5-1/2011(एकेड.)/एमएसआरवीवीपी /3231 दिनांक 24.7.2012 की पुष्टि की गई ।

कार्यक्रम सं. 2.10 **विद्यापीठ के साहित्य विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 13.12.2012 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त की स्वीकृति ।**

सर्वसम्मति से विद्यापीठ के साहित्य विभाग के अध्ययन मण्डल की दिनांक 13.12.2012 को संपन्न हुई समस्त संस्तुतियों की पुष्टि की गई।

कार्यक्रम सं. 2.11 **सांख्ययोग विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 3.12.2012 के अनुसार शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में योग विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में समाहित करने का प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्ताव दिनांक 6.12.2012 के अनुसार सांख्ययोग विभाग में - योग प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम (षाण्मासिक) पर विचार ।**

सांख्ययोग विभागाध्यक्ष द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 3.12.12 के अनुसार शास्त्री प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्षों में योग विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में समाहित करने के प्रस्ताव पर विद्वत् परिषद् में गहन चर्चा की गई तथा इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अस्वीकृत किया गया।

सांख्ययोग विभागाध्यक्ष द्वारा दिनांक 6.12.2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव 'योग प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम' (षाणमासिक) को विद्वत् परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

कार्यक्रम सं. 2.12 **वेद-वेदांग संकाय प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.12.2012 के अनुसार व्याकरण विभाग में नव्य एवं प्राचीन दो विभागों को स्वतंत्र विभाग के रूप में पृथक-पृथक किए जाने का प्रस्ताव ।**

वेद-वेदांग संकाय प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.12.2012 के अनुसार व्याकरण विभाग में नव्य एवं प्राचीन दो विभागों को स्वतंत्र विभाग के रूप में पृथक-पृथक किए जाने के प्रस्ताव को संकाय प्रमुखों की बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

इसके साथ-साथ चारों वेदों के विभाग खोले जाने पर भी सिद्धान्ततः स्वीकृति प्रदान की गई । ये विभाग अध्यापकों की नियुक्ति के उपरान्त ही आरंभ किये जाएं न कि वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा ।

निष्कर्षतः यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को संकाय प्रमुखों की बैठक में प्रस्तुत कर, विचार किया जाए । तदुपरान्त विद्वत्परिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

कार्यक्रम सं. 2.13 **दर्शन संकाय प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 12.12.2012 के अनुसार बारहवीं तथा बी.ए. आदि में संस्कृत विषय की बाध्यता को समाप्त कर उसके स्थान पर संस्कृत भाषा का एक अनिवार्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार।**

दर्शन संकाय प्रमुख द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 12.12.2012 पर **विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय** लिया गया कि प्रो. अमिता शर्मा द्वारा पूर्व में संचालित संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ किया जाए तथा संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को शास्त्री के पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाए ।

कार्यक्रम सं. 2.14 **प्राकृत भाषा का प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2013-2014 से विद्यापीठ में पुन: संचालित किए जाने का प्रस्ताव ।**

प्राकृत भाषा के प्रमाणपत्रीय एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सत्र 2013-2014 से विद्यापीठ में पुन: संचालित किए जाने के प्रस्ताव को सिद्धान्तत: स्वीकार किया गया । यह पाठ्यक्रम प्राकृत विभागाध्यक्ष के संयोजकत्व में चलेगा ।

कार्यक्रम सं. 2.15 **परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 14.12.2012 के अनुसार, संस्थान के लब्धांक पत्र के अनुसार विद्यापीठ के लब्धांक पत्र एवं उपाधि में आचार्य के कोष्ठक में एम.ए. संस्कृत लिखने की अनुमति का प्रस्ताव ।**

परीक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 14.12.2012 के अनुसार, संस्थान के लब्धांक पत्र के अनुसार विद्यापीठ के लब्धांक पत्र एवं उपाधि में आचार्य के कोष्ठक में. एम.ए. संस्कृत लिखने की अनुमति के प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई । गहन चर्चा में यह तथ्य सामने आए कि उपाधियों में शास्त्री (बी.ए.) /आचार्य (एम.ए.) समकक्ष या शास्त्री (बी.ए.) /आचार्य (एम.ए.) लिखा जाए ।

इस संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली से प्राप्त उपाधियों के प्रारूप के अनुसार ही विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियों में शास्त्री (बी.ए.) /आचार्य (एम.ए. संस्कृत) लिखा जाए और विषय के स्थान पर आचार्य में पठित विषय का उल्लेख भी किया जाए ।

कार्यक्रम सं. 2.16 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. **प्रो. इच्छाराम द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 11.12.2012 में उल्लिखित 8 मदों में से तृतीय मद ही विद्वत् परिषद् से सम्बद्ध होने के कारण विचारार्थ प्रस्तुत।**

   प्रो. इच्छाराम द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 11.12.2012 में उल्लिखित 8 मदों में से तृतीय मद –

   'छात्रों के पाठ्यग्रन्थ प्रश्न बैंक तथा आवश्यक पाठ्य सामग्री के विभागीय स्तर पर ही मुद्रण एवं प्रकाशन की व्यवस्था' से संबंधित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सिद्धान्ततः स्वीकृति दी गई तथा यह सुझाव दिया गया कि इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की प्रशासनिक प्रक्रिया नियमानुसार की जाएगी । इस विषय को संकाय प्रमुखों की बैठक में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

2. **डॉ. रामराज उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 24.10.2011 के अनुसार विद्यापीठ में पौरोहित्य विभाग के अंतर्गत पौरोहित्य संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन पर विचार।**

   डॉ. रामराज उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 24.10.2011 के अनुसार विद्यापीठ में पौरोहित्य विभाग के अंतर्गत पौरोहित्य संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन की पुष्टि की गई ।

3. **प्रो. सुदीप कुमार जैन, अध्यक्ष-प्राकृत भाषा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 11.7.2012 के अनुसार विद्यापीठ में छात्र-संख्या वृद्धि) के लिए यह अपेक्षित है कि सेतु-पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाए ताकि +२ में जिनके संस्कृत नहीं रही है (अधिकांश विद्यालयों में अब +२ में संस्कृत अध्ययन/अध्यापन समाप्तप्राय है) उन छात्रों को**

शास्त्री पाठ्यक्रम में तथा स्नातक स्तर पर जिनके संस्कृत नहीं है, उन्हें आचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रवेश तो दिया जाए, किन्तु उन्हें सेतु पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर ही उपाधि प्रदान की जाए । इससे उन्हें संस्कृत ज्ञान की पूर्ति भी होगी और वे विद्यापीठ के विविध विषयों में अध्ययन भी कर सकेंगे । यह जनहित में भी आवश्यक है एवं विद्यापीठ के हित में भी समयानुसार अपेक्षित है ।

प्रो. सुदीप कुमार जैन, अध्यक्ष- प्राकृत भाषा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रो. अमिता शर्मा द्वारा पूर्व में संचालित संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ किया जाए तथा संस्कृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को ऐसे प्रमाण-पत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाए ।

4. प्रो. लक्ष्मीश्वर झा द्वारा विद्वत् परिषद् के सदस्यों के समक्ष निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए:-

1. विद्यापीठ में आयुर्वेद विभाग की स्थापना की जाए ।
2. पत्रकारिता विभाग की स्थापना की जाए ।
3. अनुवाद कला का पाठ्यक्रम आरंभ कया जाए, इसे व्याकरण विभाग के अंतर्गत संचालित किया जा सकता है ।
4. वैदिक विज्ञान पाठ्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय की भाँति विद्यापीठ में भी प्रारंभ किया जाए ।
5. चतुवर्षीय पाठ्यक्रम व्यवस्था विद्यापीठ में लागू किए जाने पर विचार किया जाए ।
6. संस्कृत के पठन-पाठन हेतु आधार ग्रन्थ पाठ्यक्रम के संचालन पर विचार किया जाए ।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर गहन चर्चा की गई और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व इससे

संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन, प्रो. लक्ष्मीश्वर झा कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिस पर संकाय प्रमुखों की बैठक में विचार किया जाएगा।

5. विद्यापीठ के मुद्रित पाठ्यक्रम में बौद्ध दर्शन एवं तंत्रागम का पाठ्यक्रम मुद्रित है । विभाग को खोले जाने की सिद्धान्तत: विद्वत् परिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । यह विभाग अध्यापकों की नियुक्ति के उपरान्त ही आरंभ किया जाए न कि वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा ।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा समस्त सदस्यों को यह निर्देश दिया कि विद्वत् परिषद् में शैक्षिक विषयों से संबंधित मामले ही विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएं अन्य वैधानिक निकायों से संबंधित मामले संबंधित मण्डलों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जाएँ ।

विद्वत् परिषद् की बैठक में माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. भागीरथी नन्द, एसोसिएट प्रोफेसर को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जाने के संबंध में सूचित किया, जिसका समस्त सदस्यों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया और डॉ. भागीरथी नन्द को इस सफलता हेतु बधाई दी ।

डॉ. यशवीर सिंह ने प्रस्ताव किया कि शोध एवं प्रकाशन विभाग भी किसी संकाय के अधीन रखा जाय, जिस पर कुलपति महोदय ने कहा कि प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति के उपरान्त इसको साहित्य संस्कृति संकाय के अधीन रखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्यों को धन्यवाद के उपरान्त शान्ति पाठ से विद्वत् परिषद् की प्रथम बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई।

(बी.के. महापात्र)
कुलसचिव एवं सचिव

(राधावल्लभ त्रिपाठी)
कुलपति एवं अधयक्ष